सार-समाचार

दिव्यांग यात्रियों की सहायता हेतु कोटा रेल मंडल ने एमओयू किया

कोटा, (निसं)। दिव्यांग यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर अधिक सुगम, सुलभ एवं सम्मानजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने की दिशा में कोटा मंडल ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस क्रम में कोटा रेल मंडल द्वारा समाजसेवी संस्था लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इस एमओयू के तहत संस्था द्वारा नामित एक दिव्यांगजन कोटा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा। उक्त दिव्यांगजन स्टेशन पर आने वाले दिव्यांग यात्रियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगा तथा उन्हें व्हीलचेयर सुविधा उपलब्ध कराने, स्टेशन परिसर में विभिन्न यात्री सुविधाओं तक पहुंच बनाने एवं यात्रा संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सहयोग करेगा। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आगामी जुलाई माह से प्रारंभ किए जाने की योजना है। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग यात्रियों को बेहतर सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ दिव्यांगजनों को सार्थक सेवा एवं रोजगार के अवसरों से जोड़ना भी है। जैन ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के सफल संचालन एवं यात्रियों से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर भविष्य में कोटा रेलवे स्टेशन पर समर्पित दिव्यांगजन सहायता बूथ स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।

सर्पदंश से युवक की मौत

छबड़ा (निसं)। ढीमरपुरा गांव में खेत पर मजदूरी कर रहे एक युवक सर्पदंश का शिकार हो गया। अचेतावस्था में उसे तत्काल एमपी के गुना जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के भाई भानू आदिवासी ने बताया कि मृतक राजू आदिवासी निवासी गोकलसिंह का चक्क, मोतीपुरा प्लांट के पास स्थित ढीमरपुरा में खेत पर मजदूरी का कार्य करता था। मंगलवार शाम लगभग 4 बजे उसे जहरीले सांप ने काट लिया। उसे तत्काल उपचार के लिए गुना अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने जांच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया।

रामगंजमंडी में दो बाइक चोर गिरफ्तार, 10 बाइक बरामद

रामगंजमंडी, (निसं)। थाना रामगंजमंडी व थाना चेचट जिला कोटा ग्रामीण पुलिस को 2 अन्तर्राज्यीय मोटरसाईकिल चोरों का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि थाना रामगंजमंडी व थाना चेचट क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से मोटर साईकिल चोरी करने वाले अभियुक्त मुकेश मीणा व हंसराज केवट को गिरफ्तार कर कोटा ग्रामीण, झालावाड़ एवं मंदसौर (एमपी) के अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की गई कुल 10 मोटरसाईकल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

केडीए व वन विभाग की कार्यवाही के खिलाफ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे ग्रामीण

- सरकार व प्रशासन ग्रामीणों की जमीन छीनकर धन्नासेठों को देना चाहता है : धीरज गुर्जर
- वन अधिकार अधिनियम 2006 का वायलेशन कर रहा प्रशासन : गुंजल

कोटा, (निसं)। केडीए, वन विभाग व पुलिस के खिलाफ संभागीय आयुक्त कार्यालय पर हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, सुबह से ही दो पहिया वाहनों, ट्रैक्टर ट्रालीयो, मिनी ट्रकों से ग्रामीणों का प्रदर्शन स्थल पर पहुंचना प्रारंभ हो गया देखते ही देखते ग्रामीण सीएडी सर्कल स्थित सभा स्थल पर एकत्रित हो गए जहां सभा का आयोजन हुआ व सभा के बाद प्रदर्शनकारियों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय तक रैली के रूप मे पहुंचकर संभागीय आयुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा कि जो कोमे जिंदा होती हैं वह अपने हक अधिकारों की लड़ाई अपने घरों में बैठकर नहीं सड़कों पर उतरकर लड़ती है।

कोटा के भाजपा नेताओं के इशारे पर यहां का प्रशासन आपकी चार-चार सौ साल पुरानी जमीन से आपको हटाकर धन्नासेठों को देना चाहता है। यदि वो यह सोचते हैं कि यह ऐसा कर लेंगे तो यह उनकी गलतफहमी है, जिसे निकाल ले। यदि हमारी मांगों पर सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया तो इस कोटा की धरती पर महापड़ाव डाला जाएगा। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि मैं देख रहा हूं सुबह 11.00 बजे से ही ग्रामीण इस 45 डिग्री तापमान में खड़ा अपनी पीड़ा कह रहा है। अब वन विभाग गांव में लोगों के घरों में घुसने लग गया है अमरकुआं गांव मे अपने घर के एक कोने में अपने लिए मकान बना रहे गरीब आदमी के घर में वन विभाग घुस गया सात महीने की गर्भवती महिला को हाथ पकड़कर घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया तो गांव में गुस्सा आना स्वाभाविक था, ग्रामीण विरोध दर्ज करने के लिए, मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाने चले गए वहां पर पुलिस द्वारा जो किया उसकी चर्चा करते हुए ही रूह कांप जाती है, गांव के लोगों को उल्टा लटका-लटका कर मारा गया।

प्रहलाद गुंजल ने कहा कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने 2006 में कानून बनाया वन अधिकार अधिनियम 2006 उसमें तय कर दिया कि 75 साल या तीन पीढ़ियों से कोई व्यक्ति वन विभाग की जमीन पर मकान बनाकर रहता है, खेती करता है तो उसको किसी भी सूरत उसके न्यायोचित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, यह अधिकार कानून ने 2006 में दे दिया और तय कर दिया उस आदिवासी को, उस वनवासी को, वन उपज चाहे वह पेड़ हो, चाहे वह तेंदू हो, चाहे सूखी लकड़ी हो लेकर आने से कोई नहीं रोक सकता। उसमें साफ-साफ लिखा है जंगल में पशुपालकों के जानवरों के प्रवेश को किसी भी सूरत में नहीं रोका जा सकता। यह 2006 का वन अधिकार अधिनियम जो भारत सरकार ने बनाया कहां हैं वह अधिनियम। आज भारत सरकार व राज्य सरकार के लोग, वन विभाग, केडीए, पुलिस वन अधिकार अधिनियम 2006 का वायलेशन करके लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं।

प्रहलाद गुंजल ने कहा मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से 20 सालों में तुमने किसी भी गांव में काश्तकार के खातेदारी आवंटन के अधिकारों को बहाल किया नहीं और सीधे कलेक्टर के एक आदेश से केडीए के नाम जमीन का आवंटन कर दिया। केडीए गुंडो की तरह जाकर ग्रामीणों को बेदखल कर दे, जहां तक इस शहर के विस्तार की कल्पना भी नहीं की जा सकती वहां सिवायचक जमीन से उनको बेदखल करके अन्याय मत करों। गुंजल ने कहा यह सरकार किसान विरोधी है, यह सरकार गांव विरोधी हैं, यह सरकार जुल्मी है, अत्याचारी है और इस सरकार के खिलाफ किसानों, पशुपालकों व ग्रामीणों को उठाना पड़ेगा। खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर ने कहा कि जिस तरह केडीए, वन विभाग व प्रशासन मे बैठे लोगों को जिन भाजपा के लोगों के इशारे पर वह काम कर रहे है वह अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है आने वाले दिनों में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शन के बाद ज्ञापन देने गए प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता के दौरान संभागीय आयुक्त महोदय को सभी बातों व मांगो से अवगत करवाया गया व 7 दिन में इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने की बात कही गई है।

झालाहाउस की पुरानी बिल्डिंग गिराने की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री ने उठाए सवाल, हेरिटेज संरक्षण की मांग तेज

- शहर के विभिन्न विरासत संरक्षण संगठनों के प्रतिनिधियों एवं बुद्धिजीवियों ने विरोध किया

कोटा, (निसं)। कोटा में नगर निगम द्वारा झालाहाउस की प्राचीन बिल्डिंग को गिराए जाने की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री एवं कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। धारीवाल ने कहा है कि पुरानी और ऐतिहासिक इमारतें हमारी धरोहर हैं, ऐसे में यदि भवन का कोई हिस्सा जर्जर है तो केवल उसी हिस्से को हटाया जाए, जबकि सुरक्षित हिस्से को संरक्षित कर उसका रिनोवेशन कराया जाए।

शांति धारीवाल ने जारी बयान में कहा कि परकोटा क्षेत्र में झालाहाउस जैसी प्राचीन इमारतें केवल पत्थर और चूने की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे कोटा के इतिहास, स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत की पहचान हैं। ऐसे भवनों को पूरी तरह ध्वस्त करने की बजाय विशेषज्ञों की मदद से उनकी स्थिति का आकलन कर संरक्षण और पुनरोद्धार की दिशा में काम किया जाना चाहिए।

धारीवाल ने कहा कि नगर निगम और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी कार्रवाई से हेरिटेज भवनों की मूल पहचान और ऐतिहासिक महत्व को नुकसान न पहुंचे। यदि भवन का कोई हिस्सा अत्यधिक जर्जर और खतरनाक स्थिति में है तो उसे तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर हटाया जा सकता है, लेकिन बाकी संरचना को बचाने के लिए ठोस योजना बनाई जानी चाहिए।

विधायक शांति धारीवाल ने मांग की कि सरकार और नगर निगम पुरानी इमारतों को तोड़ने की बजाय उन्हें रिनोवेट कर संरक्षित करने की नीति अपनाएं। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के कई शहरों में ऐतिहासिक भवनों को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित करते हुए संरक्षित रखा गया है। कोटा में भी यही मॉडल अपनाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी विरासत को देख और समझ सकें।

धारीवाल ने अपने बयान जारी कर यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कोटा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए कई प्रयास किए गए थे। हेरिटेज भवनों, पुरानी संरचनाओं और शहर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े स्थलों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और विकास की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की कोशिश यह थी कि विकास और विरासत संरक्षण दोनों साथ-साथ चलें। धारीवाल ने कहा कि शहर के विकास और सुरक्षा के नाम पर यदि बिना समुचित अध्ययन के पुरानी इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा तो इससे कोटा की ऐतिहासिक पहचान को गहरा नुकसान पहुंचेगा।

भाजपा सरकार ने एनटीए को नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बना दिया है : जिग्नेश मेवानी

- कांग्रेस ने कोटा से राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया

कोटा, (निसं)। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत कोटा में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के साथ सर्किट हाऊस में किया गया। इस 40 दिन के अभियान के तहत देश के 28 प्रमुख शहरों में छात्र, अभ्यर्थी, कोचिंग हब और कॉलेज कैंपस में संपर्क किया जाएगा।

कोटा में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त कोटा संयोजक एवं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, विधायक जिग्नेश मेवानी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अभियान में कांग्रेस की 3 मुख्य मांगें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। पेपर लीक माफिया, वेंडर एजेंसियों और राजनीतिक संरक्षण की निष्पक्ष जांच हो। पूरी परीक्षा व्यवस्था का ओवरहॉल हो। एनटीए, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्र और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट की जांच हो।

तय वार्षिक परीक्षा और भर्ती कैलेंडर लागू हो। परीक्षा तिथि, रिजल्ट और नियुक्ति की समयसीमा पहले घोषित हो रखी है। भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त कोटा संयोजक एवं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, विधायक जिग्नेश मेवानी कोटा संयोजक जिग्नेश मेवानी ने प्रेस वार्ता में कहा नीट यूजी 2026 का पेपर लीक इस बात का सबूत है कि भाजपा की सरकार ने एनटीए को नेशनल ट्रोमा एजेंसी बना दिया है। 20 से अधिक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों का भविष्य दांव पर है, फिर भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी से चिपके हुए हैं। जब मंत्री खुद कह रहे हैं कि छात्रों की आत्महत्या के लिए मैं जिम्मेदार हूं, तो इस्तीफा देने में शर्म क्यों। पेपर लीक माफिया और उनके राजनीतिक संरक्षक बेनकाब होंगे। 'छात्रों की गूंज' अब सड़कों से दिल्ली संसद तक गूंजेगी।

शहर जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि कोटा कोचिंग की राजधानी है। देशभर से कोने-कोने से हजारों छात्र-छात्रायें कोटा में पढ़ने आते हैं यहां हर गली में एक छात्र अपने सपने लेकर रहता है। लेकिन भाजपा सरकार ने उनकी मेहनत को पेपर लीक से कुचल दिया है। कोटा के छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। जिला कांग्रेस कमेटी छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे ले जाएगी। 1 अगस्त को कलेक्ट्रेट घेराव में कोटा के हर छात्र की आवाज होगी। देहात अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि पेपर लीक अब एक घटना नहीं, भाजपा का सिस्टम बन गया है। 10 साल में 89 पेपर लीक, 6.5 करोड़ छात्र प्रभावित हैं।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला का शैक्षणिक भ्रमण किया

कोटा, (निसं)। कोटा विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के एम.एससी. द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला का शैक्षणिक भ्रमण किया गया। इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से साक्ष्य विश्लेषण, जांच प्रक्रियाओं एवं फॉरेंसिक विज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोगों की जानकारी प्रदान करना था।

भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला के विभिन्न अनुभागों का अवलोकन कराया गया, जिसमें भौतिक साक्ष्य विश्लेषण अनुभाग, विष विज्ञान अनुभाग, जीव विज्ञान अनुभाग, सीरोलॉजी अनुभाग तथा रासायनिक विश्लेषण प्रयोगशाला प्रमुख रहे। विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को साक्ष्यों के संग्रहण, संरक्षण एवं वैज्ञानिक परीक्षण की आधुनिक विधियों से अवगत कराया गया। फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला के डिप्टी डायरेक्टर डॉ.तरुण कुमार बैरवा एवं टीम की इस शैक्षणिक भ्रमण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने विद्यार्थियों को फॉरेंसिक विज्ञान की विभिन्न तकनीकों, प्रयोगशाला कार्यप्रणाली एवं इसके व्यावहारिक महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर कोटा विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वंदना शर्मा के मार्गदर्शन में विभागीय संकाय सदस्य डॉ.निमिषा गुप्ता, डॉ.वर्षा चतुर्वेदी, डॉ.जैनुल आबिदीन अंसारी एवं डॉ. ज्योति कुमारी मीणा उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक उपकरणों एवं तकनीकों के कार्य सिद्धांतों को समझा तथा विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। यह शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी रहा, जिससे उन्हें फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यावहारिक ज्ञान एवं भविष्य की संभावनाओं को समझने का अवसर मिला।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सानिवि नगर खण्ड बीकानेर

क्रमांक : 736 दिनांक: 17/6/26

Notice Inviting Bid -: 06/2026-27

Bid for the Various Civil Works" are invited from interested bidders from 18.06.2026 [09:30 AM] to 09.07.2026 [06:00 PM] & Open date 10.07.2026 [11:00 AM], other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://www.pwd.rajasthan.gov.in & eproc.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in of the state and departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 518.89 Lakhs.

UBN No.: PWD2627WL0B05314

Executive Engineer
PWD City Division, Bikaner

DIPR/C/11127/2026

कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज.)

क्रमांक-ननिको/जोन-3 व 4/भ.नि.अनु./2026/8621 दिनांक- 25.6.26

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हिमांशु मलिक पुत्र स्व:. श्री टेकचन्द मलिक निवासी:- 491, शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा (राज.) ने नगर निगम, कोटा में भूखण्ड संख्या 491, शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा (राज.) का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या 491, शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा मूल भूखण्ड क्षेत्रफल-1800 वर्गफुट है। उक्त भूखण्ड का कार्यालय मण्डी कमेटी चम्बल परियोजना कोटा के पत्र क्रमांक लेखा/मण्डी/67 दिनांक 29.12.1969 से श्री टेकचन्द मलिक पुत्र श्री होतू राम मलिक को आवंटन किया गया है। श्री टेकचन्द मलिक द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 29.06.2020 से आवेदक श्री हिंमाशु मलिक पुत्र स्व: श्री टेकचन्द के पक्ष की गई है। श्री टेकचन्द मलिक की मृत्यु दिनांक 01.01.2024 को हो जाने के उपरांत आवेदक श्री हिंमाशु मलिक पुत्र स्व: श्री टेकचन्द मलिक निवासी- 491, शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।
आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा में उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा कार्यालय में प्रस्तुत करे। मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा

कार्यालय नगर पालिका छबडा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2026/2625 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-25.06.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका छबडा क्षेत्र मे स्थिति भूखण्ड/मकान के नामान्तरण हेतु नगरपालिका कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत है। निम्न भूखण्ड/मकान का नामन्तरण/ हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण पत्र के अन्दर म्याद 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय मे लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

क्र. सं.	नाम सम्पत्ति मालिक जिसके नाम दस्तावेज अनुसार सम्पत्ति है। एवं पता सम्पत्ति जहां स्थित है।	आवेदनकर्ता का नाम जो दस्तावेज के आधार पर सम्पत्ति स्वयं के नाम पर दर्ज करवाना चाहता है।
1	2	3
1	श्रीमती नूरजहां बेगम पत्नि श्री निसार हुसैन जाति मुसलमान निवासीगण छबडा तहसील छबडा जिला (राज.) व्यावसायिक नगर कालोनी में भूखण्ड सं. 10 साइज 20x48=960 वर्गफिट (106.66 वर्गगज)	श्री अतहर हुसैन, अफजल हुसैन, अजहर हुसैन, अलहान हुसैन पुत्रगण इजहार हुसैन एवं अतिका बानो पत्नि इजहार हुसैन जातियान मुसलमान निवासीगण छबडा तहसील छबड़ा तहसील छबडा जिला बारां (राज.) व्यावसायिक नगर कालोनी में भूखण्ड सं. 10 साइज 20x48=960 वर्गफिट (106.66 वर्गगज) (पट्टा धारक श्रीमती नूरजहां बेगम की मृत्यु उपरान्त एवं श्री निसार हुसैन (मृत्यु दिनांक 8.2.2026) आत्मज श्री निसार हुसैन के पक्ष में रजिस्ट्रड वसीयत दिनांक 24.07.2025 अनुसार नामान्तरण हेतु)

नोट-उपरोक्त भूखण्ड का पट्टा धारक की मृत्यु उपरान्त बारीसन के पक्ष में हस्तांतरण के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपति हो तो वह प्रकाशन तिथी से 07 दिवस तक अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज नगर पालिका छबडा में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित हो।

अधिशाषी अधिकारी मगरपालिका छबड़ा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/668 **विज्ञप्ति** दिनांक : 18.6.2026

सर्व साधारण को जर्य विज्ञप्ति सुचित किया जाता है कि ग्राम नयानोहरा खसरा नं. 37/1 में स्थित कृषि भूमि योजना तिरूपति नगर में स्थित भूखण्ड संख्या 01 आवेदक/आवेदिका श्री राजेन्द्र सिंह गोगावत पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी 7/82-ए सरस्वती कॉलोनी बारां रोड कोटा राज. ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 749 दिनांक 25.07.2013 को सपना गोगावत पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह गोगावत के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 27.07.2025 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान पति राजेन्द्र सिंह गोगावत, पुत्री स्वाति गोगावत, पुत्र सागर सिंह गोगावत, आकर्ष सिंह गोगावत है। वारिसान स्वाति गोगावत, आकर्ष सिंह गोगावत द्वारा जर्ये रजि. रिलीज डीड दिनांक 23.12.2025 एवं सागर सिंह गोगावत द्वारा दिनांक 09.02.2026 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।।
अत: श्री राजेन्द्र सिंह गोगावत पुत्र श्री रघुवीर सिंह के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 20 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक : 24.6.26

प्राधिकरण कोटा की श्रीनाथपुरम-बी आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 716 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 03.05.1997 को श्री मांगीलाल पुत्र श्री मन्नालाल को किया गया था। आवंटी श्री मन्नालाल की मृत्यु दिनांक 17.11.2023 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त आवंटी के विधिक वारिसानों द्वारा जर्ये हक त्याग पत्र दिनांक 01.12.2025 द्वारा श्रीमती मंजू बाई पत्नी श्री धनराज को कर दिया गया है। हकत्याग ग्रहिता द्वारा भूखण्ड/आवास का उपहार जर्ये रजि. दिनांक 03.12.2025 द्वारा श्रीमती मंजू बाई पत्नी श्री धनराज गोचर को उपहार कर दिया गया है। अत: उपहार ग्रहिता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/ आवास संख्या 716 योजना श्रीनाथपुरम-बी का नाम हस्तान्तरण श्रीमती मंजू बाई पत्नी श्री धनराज गोचर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ/ तहसील/क.ब./2026/1271 दिनांक : 23.06.26

नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्ती नियमन के तहत सर्वे संख्या 571 कच्ची बस्ती सन्तोषी नगर का पटटा नियमन क्रमांक नियम / आवंटन / 92 दिनांक 11.06.2008 को श्री भंवरलाल पुत्र गजानंन्द एवं श्रीमती अनोखी बाई पत्नि गजानन्द को आवंटित किया गया था। आवंटी भंवरलाल का स्वर्गवास दिनांक 08.11.2012 को हो जाने के कारण प्रस्तुत रजिस्टर्ड रिलीज डीड (हक त्याग) पत्र दिनांक 06.05.2026 से शपथ-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती अनोख बाई पत्नि स्व. श्री भंवरलाल ने स्वयं के नाम हस्तानांतरण हेतु आवेदन किया है। जिसका नाम हस्तानांतरण प्रस्तावित है।
अत: उक्त नाम हस्तानांतरण के सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 7 दिवस में अपनी आपत्ति कार्यालय में स्वंय उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत कर देवे। अन्यथा बाद मियाद उक्त आवास का नाम हस्तानांतरण श्रीमती अनोख बाई पत्नि स्व. श्री भंवरलाल के नाम से कर दिया जावेगा। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम बुरहानुद्दीन से बदलकर नया नाम बुरहानुद्दीन आबिद मुल्लाजीवाला रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-बुरहानुद्दीन आबिद मुल्लाजीवाला पुत्र आबिद अली, बोहरा गली मस्जिद के पास बारां

खोया पाया

मेरे आवास संख्या 3 H 32 विज्ञान नगर कोटा का भौतिक कब्जा पत्र, इन्वेन्ट्री लिस्ट गुम हो गये है। जिसको मिले सूचित करे।
साजिद हुसैन पुत्र जाहिद हुसैन, 3 H 32 विज्ञान नगर कोटा

खोया पाया

मेरे आवास संख्या 6 E 54 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन पत्र, गुम हो गये है। जिसको मिले सूचित करे।
फिरोज खान पुत्र कमरूद्दीन
6 E 54 विज्ञान नगर कोटा

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती लवली राठौर पत्नी श्री हेमन्त राठौर एवं श्री हेमन्त राठौर पुत्र श्री मुरारी लाल राठौर, निवासी 309, शिवपुरा, मंशापूरण बालाजी के पास, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोटा (राज.) द्वारा मकान नं. 1-जी-8, महावीर नगर तृतीय, कोटा (राज.) को नीलामी में खरीदने बाबत् डीसीबी बैंक में आवेदन किया हुआ है, जिसकी बिड कन्फर्मेशन लैटर डीसीबी बैंक द्वारा दिनांक 22.06.2026 को जारी किया गया है।
यह कि उक्त मकान नं. 1-जी-8, महावीर नगर तृतीय, कोटा (राज.) का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा द्वारा श्री मांगीलाल सोनी को किया गया था, जिसकी परपीच्युअल लीज डीड एवं कन्वेन्स डीड उनके पक्ष में दिनांक 24.03.92 को जारी की गई, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा में दिनांक 24.03.92 को हो रहा है। श्री मांगीलाल सोनी की मृत्युपरान्त उनके विधिक वारिसान श्रीमती तारा देवी पत्नी स्व. मांगीलाल सोनी, सुरेन्द्र सोनी पुत्र स्व. मांगीलाल सोनी, रानी सोनी एवं माला सोनी पुत्रियां स्व. मांगीलाल सोनी द्वारा अपने अपने अविभाजित हिस्से का हक त्याग श्री राजेश कुमार सोनी के पक्ष में जरिये हक त्याग पत्र दिनांक 17.05.12 से किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा में दिनांक 17.05.12 को हो रहा है। तत्पश्चात् श्री राजेश सोनी की मृत्यु दिनांक 14.04.18 को हो जाने के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी श्री अमन सोनी, श्री आकाश सोनी पिसरान स्व. राजेश सोनी एवं श्रीमती संध्या सोनी पत्नी स्व. राजेश सोनी उक्त सम्पत्ति के स्वामी बनें। इसके पश्चात् श्री अमन सोनी एवं श्री आकाश सोनी द्वारा अपने-अपने अविभाजित हिस्से का हक त्याग अपनी माता श्रीमती संध्या सोनी को जरिये हक त्याग पत्र दिनांक 05.08.2021 से किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा में दिनांक 05.08.2021 को हो रहा है। श्रीमती संध्या सोनी द्वारा उक्त सम्पत्ति को डीसीबी बैंक में साम्यक् बंधक रख ऋण लिया गया था, जिसका ऋण चूकता नहीं करने पर उक्त बैंक द्वारा उक्त सम्पत्ति को सरफेसी एक्ट, 2002 के तहत नीलामी की कार्यवाही की गई, जिस नीलामी में श्रीमती लवली राठौर एवं श्री हेमन्त राठौर द्वारा भाग लिया गया एवं अधिकतम बोली के आधार पर बैंक द्वारा उनके पक्ष में बिड कन्फर्मेशन लेटर जारी किया गया।
उक्त मकान से संबंधित असल रिलीज डीड दिनांक 17.05.12. जो कि श्रीमती तारा देवी, सुरेन्द्र सोनी, रानी सोनी एवं माला सोनी द्वारा श्री राजेश कुमार सोनी के पक्ष में आलेखित की गई थी, उक्त रिलीज डीड कहीं गुम हो जाना बताया गया है एवं असल उपलब्ध नहीं है।
अत: हर आम व खास व वित्तीय संस्था को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मकान नं. 1-जी-8, महावीर नगर तृतीय, कोटा (राज.) से संबंधित असल रिलीज डीड दिनांक 17.05.12 के संबंध में एवं उक्त मकान का बैंक द्वारा सेल सर्टिफिकेट जारी किये जाने के संबंध में कोई व्यक्ति अथवा संस्था किसी प्रकार का हित रखता हो या आपत्ति रखता हो तो वह अपनी आपत्ति मय दस्तावेज सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में मेरे समक्ष लिखित में प्रस्तुत करें, बाद गुजरने मियाद सूचना कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
कोटा, दिनांक : 25.06.26

राजेन्द्र मंगल एडवोकेट
मकान नंबर 322 महावीर नगर द्वितीय
कोटा राज. मो. 94148-02953

सार-समाचार

पेयजल परियोजना का भूमि पूजन

कोटा, (निसं)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के सतत प्रयासों से दीगोद पंचायत क्षेत्र के सोली गांव को एक बड़ी सौगात मिली है। गांव में स्वीकृत पेयजल योजना के अंतर्गत लगभग 98 लाख रुपये की लागत से बनने वाली पानी की टंकी एवं पाईपलाईन परियोजना का भव्य भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस परियोजना की शुरुआत से स्थानीय ग्रामीणों में हर्ष की लहर है और इसे क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भूमि पूजन के अवसर पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सहायक अभियंता शिवानी गोचर ने परियोजना की तकनीकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सोली गांव के हर घर में स्वच्छ, शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 98 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के धरातल पर उतरने और कार्य पूर्ण होने के बाद ग्रामीणों को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें सीधे अपने घर पर ही नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की सुविधा मिलने लगेगी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनीष शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि यह पेयजल योजना सोली गांव के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही पानी की किल्लत की समस्या का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। वहीं, भाजपा मंडल अध्यक्ष इंद्र कुमार खंडेलवाल ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर प्रयासों के कारण ही क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्यों को गति मिल रही है। जिससे आमजन को सीधे तौर पर जनहितकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है।

विजय गौतम राजस्थान प्रान्तीय युवा संभाग प्रभारी मनोनित

कोटा, (निसं)। राजस्थान प्रान्तीय गुर्जरगौड़ ब्राह्मण सभा द्वारा विजय गौतम को राजस्थान प्रान्तीय युवा संभाग प्रभारी पद पर मनोनित कर नियुक्ति दी गई। ब्राह्मण सभा के जिला प्रेस सचिव राजेश गौतम ने बताया कि सभा के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष (युवा) योगेश व्यास ने जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी की अनुषंशा पर उनकी समाज के प्रति निष्ठा, समर्पण, उत्कर्ष नेतृत्व क्षमता व समाज के विभिन्न मंचों पर कार्य के अनुभवो के देखते हुये विजय गौतम को सभा के संभाग स्तर की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, तथा उन्हें समाजिक सारोकार से जुड़े अनुभवी लोगों की टीम से युवा संभागीय कार्यकारिणी के गठन हेतु निर्देशित किया गया है। सभा के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, प्रधान मंत्री राजाराम शर्मा तथा संभागीय अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद गौतम व जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी ने इस मनोयन से सभा के युवा प्रकोष्ठ मे शक्ति, उत्साह और उमंग का संचार होने से उद्देश्यों को प्राप्त करने की आशा व्यक्त की है।

डंपर की टक्कर से बाईक सवार की मौत

कोटा, (निसं)। रानपुर थाना इलाके में डंपर ट्रक की टक्कर से बाईक सवार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाईक सवार सुल्तानपुर निवासी रामप्रसाद मेहर बाईक से सुल्तानपुर से कोटा आते समय बंधा धर्मपुरा क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने बाईक सवार को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल को उपचार के लिये अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। रानपुर थाने के एएसआई रामसिंह ने बताया कि सुल्तानपुर निवासी रामप्रसाद मेंहर बाईक से सुल्तानपुर से बेटी के ससुराल कोटा में रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिये कोटा आ रहा था, बंधा धर्मपुरा में सामने से आ रहे डंपर ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाईक को टक्कर मार दी। एएसआई ने बताया कि गुरूवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। एएसआई ने बताया कि डंपर ट्रक को जप्त कर चालक को गिरफ्तार किया है, मामला दर्ज कर मामले में कार्यवाही की जा रही है।

निर्जला एकादशी पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन-पूजन

कोटा, (निसं)। कोटा-बूंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर बांके बिहारी मंदिर,रंगबाडी पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन एवं पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली के साथ राज्य की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की। राठौड़ ने वर्षा ऋतु में अच्छी एवं समय पर वर्षा होने की कामना करते हुए कहा कि पर्याप्त वर्षा से किसानों, पशुपालकों और आमजन को लाभ मिलेगा तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। निर्जला एकादशी के अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए ठंडाई वितरण का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ प्राप्त किया।इस अवसर पर बांके बिहारी मंदिर समिति के राजेंद्र खंडेलवाल, गिरधार बडेरा, सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।